न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 142 / 2022	2022 / 210	28.04.2022	07.06.2022

–उनवान–

1. महेश चंद शर्मा पुत्र मदन लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकारी जरिये थानाधिकारी, अलवर।
2. हनुमान सहाय पुत्र बंशीधर शर्मा
3. श्रीमति मांगी देवी पत्नी मंगला राम
4. राजेन्द्र पुत्र मंगला राम
5. इन्द्राज पुत्र मंगला राम जाति मीणा निवासी ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01.श्री सुरेश चन्द शर्मा **–वकील प्रार्थी**
02. श्री देवी सहाय शर्मा **–वकील अप्रार्थी सं0 3 लगा0 5**

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान सरकार जरिये थानाधिकारी थानागाजी बनाम महेश चंद शर्मा वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद सरकार जरिये थानाधिकारी थानागाजी बनाम महेश चंद शर्मा वगै0 अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी विचाराधीन है। जिसमें पेशी दिनांक 29.04.2022 नियत है। प्रकरण से संबंधित पूर्व में अप्रार्थी मांगी देवी वगे0 ने एक निगरानी प्रस्तुत की थी जिस निगरानी सं0 44 / 2018 का निर्णय दिनांक 05.10.2021 को न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं0 1 अलवर द्वारा किया गया है। प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये कि विचारण न्यायालय दोनों पक्षों को पुनः सुनकर तथा पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों को घ्यान में रखते हुए विचार कर पुनः विधि अनुरूप आदेश पारित करें। प्ररकण में सन् 2018 में रिसिवर नियुक्त किया गया। तीन वर्ष की लम्बी अवधि तक रिसिवर नियुक्त रहने के कारण दोनों ही पक्षकारान् खुश नहीं है। पक्षकारान् इस बात के लिए सहमत है कि वे सम्पत्ति का शीघ्र ही विभाजन करवाये। वे जायदाद का किसी भी स्थिति में आधा–आधा हिस्से का विभाजन हेतु तैयार है। जिसका दावा उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के न्यायालय में लंबित है। निगरानी में पारित आदेश के बाद प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया। पक्षकारान् के मध्य विभाजन का वाद भी विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 18.04.2022 पेशी नियत थी। मिन प्रार्थी अधिवक्ता दिनांक 04.03.2022 को अन्य वाद में उपस्थित हुआ तो रीडर साहब ने बताया कि उक्त प्रकरण

दिनांक 25.02.2022 को अदम हाजरी व पैरवी में खारिज किया जा चुका है। जबकि प्रकरण में पूर्व दिनांक 19.02.2022 को पेशी दिनांक 18.04.2022 नियत की गयी। जिसे वाद में दिनांक 18.02.2022 कर दिया गया तथा उक्त रिसिवर प्रकरण में दिनांक 14.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान् को कोर्ट नोटिस जारी करने एवं प्रकरण में विवादित आराजी के संबंध में मौके पर पक्षकारान् के मध्य कब्जे काश्त को लेकर एस एच ओ को वर्तमान की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र जारी कर दिनांक 19.04.022 नियत है। प्रार्थी को उक्त रिसिवर प्रकरण में कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रकरण का निस्तारण एक दो पेशी में कर देंगे तथा अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 भी खुलेआम कह रहे है कि उन्होने स्थानीय विधायक से एसडीओ को कहलवा दिया है तथा दावा तो खारिज करवा दिया है। अब वो जल्द ही रिसिवर भी हटवाकर आराजी का कब्जा ले लेंगे। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 3 लगा0 5 ने अपने जवाब व बहस में निवेदन किया है कि न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं0 1 अलवर ने निगरानी सं0 44/18 के निर्णय दिनांक 05.10.2021 के द्वारा रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय पुनः सुनकर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार विधि सम्मत मामला निर्णित करने के आदेश प्रदान किये गये। प्रकरण धारा 145 सीआरपीसी का है। जिसका क्षेत्राधिकार जिला एवं सैशन न्यायाधीश अलवर महोदय अलवर को है। न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रा0पत्र सुनने को कोई क्षेत्राधिकार नहीं हैं क्योंकि प्रकरण राजस्व प्रकरण न होकर फौजदारी प्रकरण है। मांगी देवी ने हनुमान से जमीन खरीद की है अब विवादित जमीन से हुनमान का कोई संबंध नहीं है। हनुमान की जगह मांगी देवी खातेदार है। वकील अप्रार्थी सं0 3 लगा0 5 ने यह भी निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 20.05.2022 में नियत है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं0 1 अलवर द्वारा दिनांक 05.10.2021 को आदेशित कर कहा गया कि यदि पक्षकारान् सम्पत्ति का शीघ्र ही विभाजन करवाने को उत्सुक है। न्यायालय में निर्देशों की पालना (विधि संगत) के तहत निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण को दर्ज किया गया। स्थानीय विधायक का इस प्रकरण में कोई लेना देना नही है और ना ही स्थानीय विधायक द्वारा प्रकरण में हस्तक्षेप किया जा रहा है। यदि परिवादी को न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है तो प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल करवाना चाहता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 04.02.2022 की दो प्रतियां पेश की गयी है। जिससे अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आदेशिका दिनांक 04.02.2022 में कांट छांट कर दिनांक 18.04.2022 के स्थान पर दिनांक 18.02.2022 कर दिया गया है तथा अप्रार्थी सं0 3 लगा0 5 ने भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की गयी है। न्यायहित में प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी में विचाराधीन प्रकरण उनवान सरकार जरिये थानाधिकारी थानागाजी बनाम महेश चंद शर्मा वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मालाखेड़ा में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मालाखेड़ा को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर, अलवर

एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मालाखेड़ा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी व उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)